यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय देहरादून के माह 12/2008 से 11/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री ललित गौड़, लेखापरीक्षक, श्री जितेन्द्र सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री प्रहलाद सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, द्वारा दिनांक 18.12.2020 से 24.12.2020 तक श्री महेन्द्र तिवारी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकःइस इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा है ।

1. (i)**इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**

2. इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: इकाई में कर्मचारी प्रतिकर आवेदनों/वादों का निस्तारण, सेवा बहाली से सम्बंधित सन्दर्भ आदेश एवं अवशेष देयक का निस्तारण के कार्य किये जाते हैं। इकाई में औद्योगिक विवाद निस्तारण क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत देहरादून,पौड़ी गढ़वाल, चमोली एवं रुद्रप्रयाग जिले के तथा प्रतिकर के अन्तर्गत देहरादून जनपद के क्षेत्र आते हैं ।

(अ) विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि रु में)

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		बचत/
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	
2008-09 (12/2008से)	0	0	804930	598199	0	0	206731
2009-10	0	0	2210500	1914668	0	0	295832
2010-11	0	0	3699000	2837809	0	0	861191
2011-12	0	0	3567000	3010695	0	0	556305
2012-13	0	0	3472340	3472340	0	0	0
2013-14	0	0	3604960	3604960	0	0	0
2014-15	0	0	2944944	2944944	0	0	0
2015-16	0	0	4349197	4349197	0	0	0
2016-17	0	0	4785849	4785849	0	0	0
2017-18	0	0	3797756	3797756	0	0	0
2018-19	0	0	3290224	3290224	0	0	0
2019-20	0	0	1182639	2760113	0	0	-1577474
2020-21 (11/2020तक)	0	0	2749000	2850224	0	0	101224

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(धनराशि लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	अधिक्य (+)	बचत (-)

(ii) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **कार्यालय पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय देहरादून** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन**कार्यालय पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित

है। माह 06/2018, 09/19, 02/12, 03/10, 07/13 एवं 11/20 को विस्तृत जांच हेतु तथा माह 06/16, 05/17, 01/10, 08/12, 07/20 एवं 10/2014 को अंकगणितीय शुद्धता की जाँच हेतु चयनित किया गया।प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

(iii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग II "ब"

प्रस्तर-1 भुगतान किए गए वाउचर जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया जाना धनराशि रुपये 31.04 लाख।

प्रमुख सचिव वित्त उत्तराखंड शासन के पत्रांक 3/XXVII(6) / 2013 वित्त अनुभाग -6 दिनांक 02 जनवरी 2013 के बिन्दु संख्या 4.9 के अनुसार आहरण एवं वितरण अधिकारी इन्टरनेट की सहायता से ekosh.uk.gov.in पर अपने Login ID से अपने देयकों की धनराशि संबंधितों के बैंक खातों में अंतरण हो जाने के विवरण का प्रिंट प्राप्त करेंगे तथा भुगतान संबन्धित अभिलेखों यथा- 11 सी पंजिका, कैशबुक, बिल रजिस्टर आदि में इनके प्राप्त होने की प्रविष्टि यथा स्थान करेंगे ।

इकाई के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि, माह 02/2012, 03/2010, 07/2013 एवं माह 06/2018 के व्यय हेतु भुगतान किए गए वाउचरों की प्रविष्टियाँ रोकड़ पुस्तक तथा 11-C में तो की गईं थी परन्तु उक्त माहों के वाउचर/ आपूर्ति कर्ताओं के बिलों के सापेक्ष किये गए भुगतानों के साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे ।

उपरोक्त अवधि में इकाई द्वारा भुगतान किए गए रुपये माह 02/2012, 03/2010, 07/2013 एवं माह 06/2018 की कुल रुपये 3104876 (573148+665926+557535+1308267=3104876) की धनराशि के वाउचर लेखापरीक्षा को जाँच हेतु प्रस्तुतनहीं किए जाने के परिणामस्वरूप इतनी बड़ी धनराशि की गंभीर अनियमितता की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता ।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वतः स्वीकार किया गया और कहा गया कि, पूर्व का रिकार्ड उपलब्ध न होने के कारण प्रस्तुत किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है, वर्तमान पी.ओ. द्वारा दिनांक 01.05.2019 को कार्य भार ग्रहण किया गया है पूर्व का रिकार्ड ढूंढने पर भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है आगामी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत कर दिया जायेगा ।

अतः इकाई द्वारा भुगतान किए गए रुपये 3104876 की धनराशि के वाउचर लेखापरीक्षा को जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

भाग II "ब"

प्रस्तर-2 बचत खाते के स्थान पर चालू खाता खोलकर बैंक को ब्याज का अदेय लाभ दिए जाने तथा बैंक प्रभार के रूप में खाते से धनराशियों की कटौतियाँ किये जाने के कारण शासकीय हानि ।

इकाई के बैंक खाते सम्बंधित विवरण की जांच मे पाया गया कि पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रबन्धकइलाहाबाद बैंक, निरंजनपुर देहरादून को सम्बोधित, पीठासीन अधिकारी श्रम न्यायालय देहरादून के पत्र संख्या 143 / श्र.न्या. दे.दून दिनांक 01.06.2015 के द्वारा न्यायालय के बचत खाता संख्या 50202107090 को बन्द करके एक नया चालू खाता (Current Account) खोल कर बचत खाते की धनराशि नवीन चालू खाते में डालने हेतु अवगत कराया गया था ।

इकाई के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान जाँच में पाया गया कि, न्यायालय के बचत खाता संख्या 50202107090 को बन्द करने के दिनांक 01.06.2015 को अंतिम अवशेष रुपये 9,32,938 नवीन चालू खाता संख्या 50282114059 में बचत खाता से अन्तरण की धनराशि रुपये 9,32,938 थी जिसमें दिनांक ब्याज की धनराशि भी सम्मलित थी ।

आगे जाँच में पाया गया कि नवीन चालू खाता संख्या 50282114059 में न्यायलय द्वारा जमा किये गए चैकों की धनराशियों पर बैंक द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जा रहा था साथ ही बैंक प्रभार के रूप में खाते से धनराशियों की कटौतियाँ भी की जा रहीं थीं ।

न्यायालय के बचत खाता संख्या 50202107090 को बन्द करके एक नया चालू खाता (Current Account) खोल कर ब्याज का अर्जन नहीं किया जाना और बैंक द्वारा किये गए लेन-देनों पर बैंक प्रभार के रूप में धनराशियों की कटौती किया जाना जहाँ एक ओर शासकीय हानि वहीँ दूसरी ओर जानबूझ कर बैंक को ब्याज का अदेय लाभ दिया गया ।

पीठासीन अधिकारी श्रम न्यायालय देहरादून द्वारा बचत खाते के स्थान पर चालू खाता खोलकर बैंक को ब्याज का अदेय लाभ दिया जाना आहरण एवं वितरण अधिकारी के उत्तरदायित्वों पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है ।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर और यह पूछे जाने पर कि, क्या न्यायालय के बचत खाता संख्या 50202107090 को बन्द करके एक नया चालू खाता (Current Account) खोल कर बचत खाते की धनराशि नवीन चालू खाते में डालने हेतु शासन / उच्च न्यायालय अथवा किसी उच्चतम प्राधिकारी द्वारा कोई आदेश / निर्देश जारी किये गए थे ? यदि नहीं

तो बचत खाता बन्द कर बैंक में चालू खाता किन परिस्थितियों में खोला गया था ? उत्तर में इकाई द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की गई और कहा गया कि,बचत खाते के स्थान पर चालू खाता खोले जाने के सम्बन्ध में उच्च स्तर से कोई आदेश नहीं थे ।

आगे यह और पूछे जाने पर कि, न्यायालय के बचत खाता संख्या 50202107090 को बन्द करने के पश्चात् नवीन खाते में खाता खोले जाने से वर्तमान तक कितनी ब्याज अर्जित की गई ? उत्तर में इकाई द्वारा कहा गया कि, बैंक के नियमानुसार चालू खाते पर कोई ब्याज देय नहीं है ।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में पीठासीन अधिकारी श्रम न्यायालय देहरादून द्वारा बचत खाते के स्थान पर चालू खाता खोलकर बैंक को ब्याज का अदेय लाभ दिए जाने तथा बैंक प्रभार के रूप में खाते से धनराशियों की कटौतियाँ किये जाने के कारण शासकीय हानि का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या
इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा	----	----

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

----------शून्य----------

भाग-V

आभार

1. कार्यालयप्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेःविगत लेखापरीक्षा के प्रस्तरों की आख्या**

2. **सतत् अनियमितताएः**---------- शून्य ----------
3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र. सं.	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1.	श्री एस.के.रतूड़ी, एच.जे.एस.(से.नि.)	पीठासीन अधिकारी	15.10.04 To 18.05.08
2.	श्री कान्ता प्रसाद, एच.जे.एस.	पीठासीन अधिकारी	01.09.08 To 19.07.09
3	श्री राम सिंह, एच.जे.एस.	पीठासीन अधिकारी	22.07.09 To 22.04.10
4	श्री वी.बी.राय, एच.जे.एस. (से.नि.)	पीठासीन अधिकारी	17.07.10 To 17.07.14
5	श्री सी.पी.बिजलवाण, एच.जे.एस.	पीठासीन अधिकारी	18.04.15 To 02.04.18
6	श्री सिकन्द के. त्यागी,एच.जे.एस.	पीठासीन अधिकारी	04.04.13-
7	श्रीमती कहकशा खान, एच.जे.एस.	पीठासीन अधिकारी	21.02.19 To 01.05.19
8	श्रीमती नीतू जोशी एच.जे.एस.	पीठासीन अधिकारी	01.05.19 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय देहरादून** कोइसआशयसेप्रेषितकरदीजायेगीकिअनुपालनआख्यापत्रप्राप्तिकेएकमाहकेअन्दरसीधेउप-महालेखाकार/ए॰एम॰जी॰-I, कार्यालयप्रधानमहालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, महालेखाकारभवन, कौलागढ़, देहरादून- 248195कोप्रेषितकरदीजाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-I